

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(शुप-3)

क्रमांक: प.6(57)/प्र.सु./अनु.3/2004/2

जयपुर, दिनांक: 21.9.2010

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2004, 15.02.2007 एवं 09.11.2009 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार व ई-गवर्नेंस क्षेत्र के लिये गठित परियोजना ई-प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) का निम्नानुसार पुर्नगठन एतद् द्वारा किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है।


1.	संबंधित विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / मंडल आदि के प्रमुख शासन सचिव / सचिव	अध्यक्ष
2.	संबंधित विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / मंडल आदि के विभागाध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रशासक	सदस्य
3.	संबंधित विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / मंडल आदि में पद स्थापित लेखा सेवा का परिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
4.	विभाग में पद स्थापित एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर / प्रोग्रामर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संबंधित अन्य अधिकारी	सदस्य
5.	राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer) नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी.)	सदस्य
6.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के परिपेक्ष्य में अतिरिक्त निदेशक एवं अन्य विभागों / उपक्रमों / बोर्ड / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं / मंडल आदि के सन्दर्भ में विभागाध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रशासक से निचले स्तर का शीर्ष अधिकारी	सदस्य सचिव

विभागों के अन्तर्गत उक्तानुसार गठित किये जाने वाले परियोजना ई-प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) द्वारा निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जायेंगे:-

1. विभागीय स्तर पर पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत की जा सकने वाली नागरिकोन्मुखी / व्यापारोन्मुखी सेवाओं / गतिविधियों का निर्धारण एवं प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
2. विभागीय स्तर पर पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की परियोजना में Business process Reengineering/ Government Process Reengineering and Change Management की आवश्यकताओं का निर्धारण अवश्य रूप से चिन्हित किया जाना।
3. विभागीय परियोजनाओं का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से अनुमोदन करवाना।
4. कार्य योजना एवं निपुणता निर्धारण को अन्तिम रूप देना।

- 5 विभागीय परियोजना के लिए परामर्शदाता करने के लिए आवश्यक निविदा तैयार करना।
- 6 विभागीय परियोजना के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना एवं सक्षम स्तर से विस्तृत परियोजना का अनुमोदन करवाना।
- 7 परियोजना प्रबन्धन एवं कार्य निर्धारण करना।

इस परियोजना के तहत गठित किये गये ई-प्रशासन लक्ष्य दल के प्रयोजनार्थ सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग प्रशासनिक विभाग होगा।

आज्ञा से,

 उपशासन सचिव 21.9.10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रानिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. रामस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान, जयपुर
11. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. समस्त उपक्रमों/बोर्ड/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/मंडल आदि के उच्चतम कार्यकारी अधिकारी
13. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय-I, II, III एवं IV)
14. राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), राजस्थान, जयपुर
15. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियां संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है।
16. रक्षित पत्रावली


 अनुभागाधिकारी